

वादी/रसोन्मुख/प्राथी/अप्राथी/समाप्त  
 उपस्थित है/अनुपस्थित है। शीमान पीठासीन  
 अधिकारी द्वारा पर है/अवकाश पर है/अन्य  
 कार्य में व्यस्त है/क स्थानांतरण हो गया है।  
 अतः परामर्श प्रत्युत्तर दिनांक... 3.3.17  
 को पेश है।

2-3-17

पत्रा पेश हुई। वकील शामल उपमा वकील  
 शामल 21.5.17 को तलवाना पेश की।  
 पत्रा तलवी की जाकर दिनांक 18.4.17 को  
 पेश हो।

18-4-17

वकील शामल उपमा तलवाना पेश करते हुए  
 अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रा तलवाना पेश  
 होने पर तलवी की जाकर दि. 10.05.17 को पेश  
 हो।

10-5-17

वादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी  
 उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक  
 अदालत में रैफर करने के लिए सहमत  
 है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में  
 रैफर किया जाता है। पक्षकारान  
 दिनांक 31.5.17 को लोक अदालत  
 के समक्ष उपस्थित रहें।

31-5-17

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। शायल  
 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा वादी  
 विद्रा किया जा चुका है। अतः शर्धना पत्रा  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलनुभा  
 होकर नया से कर हो एवं बाद वकील  
 संलग्न मूल काद रही।

सदस्य लोक अदालत वजीरपुर  
 अध्यक्ष लोक अदालत वजीरपुर